भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 967

(जिसका उत्तर सोमवार, 26 जुलाई, 2021/ 4 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

नया आयकर पोर्टल

†**967. श्री डी.एम.कथीर आनन्दः**
श्री राम कृपाल यादवः
श्री हनुमान बेनीवालः
सुश्री सुनीता दुग्गलः
श्री संजय भाटियाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष मार्च 2020-अप्रैल 2021 के लिए संग्रहित किये गए कर की कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने एक नया आयकर पोर्टल बनाया है और यदि हां, तो उक्त पोर्टल को बनाने में कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) उन फर्मों और कंपनियो के नाम क्या हैं जिन्हें यह कार्य आवंटित किया गया और इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि भुगतान की गई;

(घ) क्या इस पर करोड़ों रूपए खर्च करने के बावजूद भी आयकर दाताओं को उक्त पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करते समय कई तकनीकी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे लॉग इन करना और पिछले ई-फाइल किए गए रिटर्न को देखने में विफलता और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के संबंध में जिम्मेदारी तय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): एनएसडीएल से प्राप्त 14 महीनों के संग्रहित आंकड़े नीचे दिये गए हैः-

दिनांक 01.03.2020 से 30.04.2021('मार्च 20' से 'अप्रैल 21') की अवधि के दौरान 14 महीनों के लिए प्राप्त ओएलटीएस चालान का संग्रहण

प्रमुख शीर्ष कोड	**सकल संग्रहण (करोड़ रूपए में)**
0020-निगम कर	8,04,651.9
0021-आयकर	6,69,077.4
0023-होटल रसीद कर	0.4

0024-ब्याज कर	3.1
0026-फ्रिंज बेनिफिट कर	9.0
0028-आय और व्यय पर अन्य कर	7.2
0031- संपदा शुल्क	0.4
0032- धन कर	15.9
0033- उपहार कर	1.5
0034- प्रतिभूति संव्यवहार कर	21,022.3
0036- बैंकिंग नगदी संव्यवहार कर	0.0
0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2,363.3
सकल योग	**14,97,152.4**

(ख): जी हां, सरकार ने एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 परियोजना के हिस्से के रूप में एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया है। इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16.01.2019 को परियोजना प्रबंधन लागत का भुगतान (एमएसपी), जीएसटी, किराया, डाक और परियोजना प्रबंधन लागत सहित 8.5 वर्षों की कुल अवधि के लिए 4,241.97 करोड़ रूपए के परिव्यय हेतु अपना अनुमोदन दिया। इस परियोजना के तहत, जनवरी, 2019 से जून 2021 तक मैसर्स इन्फोसिस लिमिटेड को भुगतान की गई राशि 164.5 करोड़ रूपए है।

(ग): एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीयकृत प्रोसेंसिंग केंद्र(सीपीसी 2.0) परियोजना का अनुबंध केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर प्रकाशित एक खुली निविदा के माध्यम से प्रबंधित सेवा प्रदाता मैसर्स इन्फोसिस लिटमिटेड को न्यूनतम लागत के आधार (एल-1) पर दिया गया था। इस परियोजना के तहत जनवरी, 2019 से जून, 2021 तक मैसर्स इन्फोसिस को भुगतान की गई कुल राशि 164.5 करोड़ रूपये है।

(घ): करदाताओं, कर पेशेवरों और अन्य हितधारकों ने नए पोर्टल के काम-काज में खामियों की सूचना दी है। करदाताओं द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याएं पोर्टल के धीमेपन, कुछ कार्यात्मकताओं की अनुपलब्धता अथवा कार्यात्मताओं में तकनीकी मुद्दों से संबंधित हैं।

(ङ): इन्फोसिस ने पोर्टल के काम-काज में तकनीकी मुद्दों को स्वीकार किया है। आयकर विभाग किसी भी लंबित मामले के समाधान मे तेजी लाने के लिए इन्फोसिस के साथ सतत् रूप से जुड़ा हुआ है। यह परियोजना अनुबंध के नियमों और शर्तों को प्रभावित करने वाली किसी भी खामी के संबंध में आयकर विभाग और मैसर्स इन्फोसिसि लिमिटेड के बीच अनुबंध द्वारा शासित है।

(च): इन्फोसिस ने यह सूचित किया है कि पोर्टल के काम-काज में पाई गई तकनीकी समस्याओं का लगातार समाधान किया जा रहा है। पोर्टल के धीमेपन, कुछ गतिविधियों की अनुपलब्धता या कार्यात्मकताओं में तकनीकी मामलों के संबंध में करदाताओं को पेश आ रहे प्रारंभिक मुद्दों को कम कर दिया गया है। विभाग, करदाताओं, कर पेशेवरों और आईसीएआई के प्रतिनिधियों के फीडबैक के आधार पर इन्फोसिस के माध्यम से सुधारात्मक उपाय कर रहा है।

*****